राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवम् प्रावधायी निधि विभाग

बीमा भवन, जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः—प.19(ए)/एनपीएस/राज्य सरकार/2019—20/ 1274   दिनांकः— 02-06-23

परिपत्र 2

राज्य में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त राज्य कर्मचारियों पर दिनांक 01.04.2022 से एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू की जा चुकी है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 19.5.2022 को जारी अधिसूचनानुसार कार्मिकों की निजी/राजकीय अंशदान की राशि एवं प्राप्त प्रतिफल (संपूर्ण कॉर्पस) को राज्य सरकार द्वारा खोले गए सामान्य राजस्व बजट मद में जमा किया जायेगा तथा राज्य कर्मचारियों की जमा निजी अंशदान की राशि को जीपीएफ की प्रचलित ब्याज दर से उनकी सेवानिवृति अथवा मृत्यु पर लौटाया जायेगा।

उक्त अधिसूचना तथा समय—समय पर प्राप्त स्पष्टीकरणों के अनुसंरण में राज्य कर्मियों की नियुक्ति तिथि से दिनांक 31.03.2022 तक की एनपीएस निजी अंशदान की कटौतियों का लेजर एसआईपीएफ पोर्टल पर तैयार किया जायेगा, जिसमें से आरपीएमएफ/आरजीएचएस की कटौतियां एवं पूर्व आहरित एनपीएस आहरणों को घटाया जायेगा। एनपीएस निजी अंशदान राशियों का लेजर तैयार करने एवं मृत्यु दावों के मामलों में जिला कार्यालयों द्वारा भुगतान हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :—

1. एनपीएस के निजी अंशदान का लेजर तैयार करने हेतु एसआईपीएफ पोर्टल पर एक युटिलिटी विकसित की गई है, जिसमें अंशदाता की प्रथम कटौति से मार्च, 2012 तक एवं ऑफलाईन जमा कटौतिया विभागीय रिकॉर्ड यथा एनपीएस कटौति पत्र/लेजर, जीए—55(ए) अथवा आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित एनपीएस पासबुक के आधार पर वांछित प्रविष्टियां मानव श्रम से की जायेगी।
2. दिनांक 01.04.2012 से पे—मैनेजर/पीआरआई पे—मैनेजर पर प्राप्त कटौतियों को एसआईपीएफ पोर्टल में 'अपडेट लेजर' की युटिलिटि के माध्यम से अपडेट किया जायेगा। अपडेट लेजर में आरपीएमएफ/आरजीएचएस एवं अंशदाता द्वारा पूर्व आहरित एनपीएस आहरण की राशि को डेबिट किया जायेगा।
3. दिनांक 01.04.2022 से पूर्व राज्य सेवा से सेवानिवृति के प्रकरणों में पूर्व की भांति ही अंशदाता के दावा भुगतान हेतु विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा एसओटी की राशियों की संपूर्ण जाँच पश्चात एनएसडीएल द्वारा यथा अपेक्षित मूल प्रान, कैंसिल चैक, सेवानिवृति आदेश, शपथ पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, 2 फोटोयुक्त पहचान पत्र सहित दावे को एनएसडीएल को ऑनलाईन अग्रेषित किया जावेगा।
4. दिनांक 01.04.2022 के पूर्व सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा ओपीएस पेंशन प्राप्ति हेतु एनएसडीएल से उनके बैंक खाते में प्राप्त 60 प्रतिशत एवं एन्युटी के लिए निवेशित 40 प्रतिशत सुरक्षित राशि के बराबर राशि (संपूर्ण कॉर्पस) प्राप्ति की दिनांक से बजट मद 0071 में जमा कराये जाने के माह तक जीपीएफ की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज गणना कर संपूर्ण परिगणित राशि बजट मद 0071—01—800—(04)— 01 में जमा कराये जाने पर संलग्न प्रारूप में पेंशन विभाग को पेंशन स्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा। इस हेतु जिला कार्यालय सेवानिवृत कार्मिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगें।
5. दिनांक 01.04.2022 के पूर्व मृत्यु के प्रकरणों में मृतक अंशदाता के दावा भुगतान हेतु विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा एनएसडीएल द्वारा यथा अपेक्षित एसओटी राशियों की संपूर्ण जाँच पश्चात मूल प्रान, कैंसिल चैक, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अदेय प्रमाण पत्र, दो फोटोयुक्त पहचान पत्र

Signature valid
Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.05.31 17:42.10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3945634

आदि सहित एनएसडीएल को ऑनलाईन अग्रेषित किया जायेगा एवं जिला कार्यालयों के एनपीएस चालू खातों में प्राप्त संपूर्ण कॉर्पस को बजट मद 0071—01—800—(04)— 01 में जमा करवाया जाकर पारिवारिक पेंशन प्राप्ति हेतु निर्धारित सूचना पत्र/प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

6. दिनांक 01.04.2022 के पश्चात के मृत्यु के प्रकरणो में बिन्दु संख्या—5 के अनुसार ही एनएसडीएल को विभागीय जिला कार्यालयों द्वारा दावा अग्रेषित किया जायेगा एवं प्राप्त संपूर्ण कॉर्पस राशि जो एनपीएस चालू बैंक खातों में प्राप्त होगी, उसमें से निजी अंशदान राशि एसआईपीएफ पोर्टल पर उपलब्ध करवाई गई युटिलिटि से आरपीएमएफ/आरजीएचएस एवं अंशदाता द्वारा पूर्व आहरित एनपीएस आहरण की राशि को घटाते हुये लेजर तैयार किया जाकर एनपीएस निजी अंशदान राशि दावेदार को उनके बैंक खाते में, आरपीएमएफ/आरजीएचएस की राशि बजट मद 8342—00—120—(69) में एवं शेष राशि बजट मद 0071—01—800—(04)— 01 में चालान से जमा करवायी जायेगी।
7. एनपीएस अंशदाताओं की 31.3.2022 तक की जो राशियों CRA System में हस्तांतरित होने से रह गई थी, उनमें :—
   (i) दिनांक 31.3.2022 तक सेवानिवृत कर्मचारियों की ऐसी राशि का सत्यापन कर उन्हें भुगतान किया जाना है, यदि वे ओपीएस का लाभ लेना चाहते है, तो उक्त राशियों को भी बजट मद 0071—01—800—(04)— 01 में चालान से जमा करवाया जाएगा।
   (ii) दिनांक 31.3.2022 तक जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, यदि उनकी कोई अहस्तान्तरित एनपीएस राशि बकाया है और यदि उसके आश्रितों द्वारा पारिवारिक पेंशन का विकल्प लिया है अथवा लिया जाना है तो सम्पूर्ण राशि का सत्यापन कर मद 0071—01—800—(04)— 01 में चालान से जमा करवाया जाएगा। यदि ऐसे कार्मिकों के आश्रितों द्वारा एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत एकमुश्त भुगतान/वार्षिकी प्राप्त की है तो अब शेष अहस्तानान्तरित राशियां उन्हें लौटाई जायेगी।
   (iii) दिनांक 31.3.2022 के बाद सेवानिवृत/मृतक कार्मिकों के मामलों में ऐसी हस्तांतरित राशियों को सत्यापन कर निजी अंशदान राशियों को एसआईपीएफ पोर्टल पर तैयार हो रहे एनपीएस लेजर में खताना/समायोजित करना है तथा राजकीय अंशदान राशियों को बजट मद 0071—01—800—(04)— 01 में जमा कराना है।

(हेमपुष्पा शर्मा)
निदेशक,
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः—प.19(ए)/एनपीएस/राज्य सरकार/2019—20/1274-78 दिनांकः— 02-06-22

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, निदेशक महोदया, मुख्यालय जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. समस्त वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय/साधारण बीमा निधि जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, संभागीय कार्यालय।
5. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जिला कार्यालय।

Signature valid

Digitally signed by Hem Pushpa Sharma
Designation : Director
Date: 2023.05.31 17:42:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3945634